निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 65 / 2024
दायरा दिनांकः–09.12.2024
निर्णय दिनांकः– 30.6.25

उनवान

1. लक्ष्मीबाई आयु 27 वर्ष पुत्री किशोरसिंह पत्नि धनपाल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खेरखेडानाथूराम हाल निवास रावली तहसील सुसनेर जिला शाजापुर मध्यप्रदेश

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 30.6.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री हेमराज कुशवाह – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम खेरखेड़ानाथूराम पटवार हल्का मूण्डक्या तहसील छबड़ा में खाता संख्या 40 / 39 में भूमि खसरा संख्या 66 रकबा 0.0632 है०, खसरा संख्या 75 रकबा 0.3541 है०, खसरा संख्या 77 रकबा 1.1128 है0, खसरा संख्या 80 रकबा 0.2655 है०, खसरा संख्या 81 रकबा 0. 4173 है0 कुल खसरे 5 कुल रकबा 2.2129 है। में प्रार्थिया का हिस्सा सहायता कंवर के नाम 1/6 दर्ज हैं। जो प्रार्थिया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में अवस्थित हैं। उपरोक्त वर्णित समस्त भूमि प्रार्थिया की पैत्रक भूमि हैं। जो प्रार्थिया को उसके पिता किशोरसिंह जी से विरासत में प्राप्त हुई हैं। प्रार्थिया के पिता किशोरसिंह की मृत्यु पश्चात् उसके हिस्से की भूमियों में प्रार्थिया का नाम लक्ष्मीबाई पुत्री किशोरसिंह के स्थान पर राजस्व कर्मचारियों की त्रुटिवश सहायताकंवर पुत्री किशोरसिंह दर्ज हो गया हैं तथा उपरोक्त भूमिकी जमाबंदी में प्रार्थिया के नाम का गलत अंकन हो जान से प्रार्थिया को को उपरोक्त भूमियों पर बैंक से ऋण प्राप्त नहीं हो पा रहा हैं तथा सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य सहायताएँ भी प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। प्रार्थना पत्र की चरण कमांक 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थिया उसके नाम में हुई त्रुटि को ठीक कराकर ष्सहायताकंवर पुत्री किशोरसिंहष के स्थान पर लक्ष्मीबाई पुत्री किशोरसिंह पत्नी धनपालसिंह दर्ज कराना चाहती हैं जो न्याय हित में आवश्यक हैं। प्रार्थिया ने उपरोक्त वर्णित आराजियात की जमाबंदी के अंकन में हुई उपरोक्त त्रुटि को ठीक

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

राने हेतु प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी तहसीलदार तहसील छबड़ा को दिनांक 07/12/24 को निवेदन किया तो उन्होने प्रार्थिया से सम्मानीय न्यायालय में कार्यवाही करने की बात कही, अतः सम्मानीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। तहसीलदार साहब तहसील छबड़ा को दिनांक 07/12/24 को निवेदन किया तो उन्होने प्रार्थिया से सम्मानीय न्यायालय में कार्यवाही करने की बात कही, अतः सम्मानीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम खेरखेडानाथूराम तहसील छबडा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 40 फोटो प्रति आधार कार्ड लक्ष्मीबाई पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम खेरखेडानाथुराम तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा 1/6 दर्ज है। जो प्रार्थीया के कब्जे काश्त में चली आ रही है विवादित आराजी पैत्रक है जो प्रार्थीया को उसके पिता से विरासत में प्राप्त हुई प्रार्थीया के पिता की मृत्यु कके पश्चात् उसके हिस्से की भूमि में प्रार्थीया का नाम लक्ष्मीबाई के स्थान पर त्रुटिवश सहायता कंवर दर्ज हो गया है प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हो जाने से प्रार्थीया को राज्य सरकार से मिलने वाले समस्त लाभों से वंछित होना पड रहा है प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में सही कराना चाहती है प्रार्थीया के अन्य दस्तावेजात में लक्ष्मीबाई दर्ज है जबकि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सहायता कंवर दर्ज है प्रार्थीया अपना नाम राजस्व रिकार्ड में सहायता कंवर के स्थान पर लक्ष्मीबाई दर्ज कराना चाहती है प्रार्थीया का सही नाम लक्ष्मीबाई है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। उक्त प्रकरण में मौके एवं राजस्व रिकार्ड से जांच करने ग्राम खेरखेडानाथूराम पहुंचा। मुताबिक राजस्व रिकार्ड ग्राम खेरखेडानाथूराम की जमाबन्दी सम्वत् 2079 की खाता संख्या 40 के कुल खसरा नम्बर 5 किता रकबा 2.2129 है0 में सहायता कंवर पुत्री किशोरसिंह हिस्सा 1/6 जाति राजपूत सा0देह दर्ज है उक्त खाते में दर्ज नाम सहायता कंवर पुत्री किशोरसिंह जाति राजपूत के सही नाम की जानकारी मौके पर उपस्थित ग्राम वासियान से की गई। मुताबिक ग्राम वासियान ने बताया कि सहायता कंवर पुत्री किशोरसिंह का सही नाम लक्ष्मीबाई पुत्री किशोरसिंह है ग्राम वासियान ने बताया की सहायता कंवर व लक्ष्मीबाई दोनो नामों से जाना व पुकारा जाता है। उक्त दोनो नाम एक ही महिला के है एवं लक्ष्मीबाई की शादी धनपालसिंह से हो चुकी है वर्तमान में ग्राम में निवास नही करती है हाल मुकाम ग्राम रावली तहसील सुसनेर जिला शाहापुर मध्यप्रदेश में निवास करती है।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम खेरखेडानाथूराम सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 40 में प्रार्थीया का नाम सहायता कंवर दर्ज है प्रार्थीया के आधार कार्ड में लक्ष्मीबाई पत्नि धनपाल सिंह ग्राम रावली शाजापुर मध्यप्रदेश दर्ज है प्रार्थीया द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

आधार कार्ड पेश किया है प्रार्थीया के आधार कार्ड में लक्ष्मीबाई पत्नि धनपाल सिंह दर्ज है तहसीलदार छबडा द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि सहायता कंवर व लक्ष्मीबाई दोनो नामो से जाना व पुकारा जाता है। उक्त दोनो नाम एक ही महिला के है। तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना स्वीकार कर प्रार्थीया का नाम सहायता कंवर उर्फ लक्ष्मीबाई पुत्री किशोरसिंह दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम खेरखेडानाथुराम के खाता संख्या 40 के खसरा नम्बर 66 रकबा 0.0632 है0 खसरा नम्बर 75 रकबा 0.3541 है0 खसरा नम्बर 77 रकबा 1.1128 है0 खसरा नम्बर 80 रकबा 0.2655 है0 खसरा नम्बर 81 रकबा 0.4173 है0 में प्रार्थीया का नाम सहायता कंवर उर्फ लक्ष्मीबाई पुत्री किशोर सिंह दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा